

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर
क्रमांक/ 896 /शैक्षणिक-II/एमसीए/2022 दिनांक: ..4/11/22..

सूचना

1. आपको सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
2. यह भी उल्लेखित किया जाता है कि रैगिंग लेना एक कानून अपराध है। अगर भविष्य में आपके पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार की रैगिंग/रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता/जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं एवं आपके पुत्र/पुत्री की होगी।
3. चूंकि आपके पुत्र/पुत्री (प्रथम एमबीबीएस प्रवेश वर्ष 2020) इस महाविद्यालय में वर्तमान में एमबीबीएस कोर्स में अध्ययनरत है, अतः अपने पुत्र/पुत्री को अच्छी तरह समझा दे कि वे नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं (प्रवेश वर्ष - 2021-22) की किसी भी प्रकार से रैगिंग नहीं ले एवं इस प्रकार की गतिविधियों में भी भाग नहीं लें।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक/ 17735-95/शैक्षणिक-II/एमसीए/2022

दिनांक: ..4/11/22..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एमसीआई, पॉकिट नं. 14, सेक्टर नं. 8, द्वारका, नई दिल्ली-110077
2. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, राज, सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, एसएमएस जयपुर/बीकानेर/ जोधपुर/कोटा/ उदयपुर/झालावाड़ एवं समस्त राज.मेस कॉलेज राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय को।
6. अधीक्षक, ज.ला.ने. चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अजमेर।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी इस महाविद्यालय/प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. सभी विभागाध्यक्ष, इस महाविद्यालय से।
9. वार्डन (छात्र/छात्रा) हॉस्टल, इस महाविद्यालय को।
10. नोटिस बोर्ड।
11. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक इस महाविद्यालय को।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक